

निर्णय ब-इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर
प्रकरण संख्या 83/2024 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुनीता चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

श्री हरिओम प्रसाद पुत्र श्री सुगन चन्द, निवासी चोकरवाला, जिला भरतपुर हाल निवासी 514, बरकत नगर, जयपुर मालिक फर्म गोयल एन्टरप्राइजेज, 627, बरकत नगर, जयपुर।



अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जितेशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 बी.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल. एवं 01 एच.पी.सी.एल.)मय एल.पी.जी.70.950 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :-

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 10.07.2025

- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस सिलेण्डरों से दुरुपयोग की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ दिनांक 27.09.2024 को गोयल एन्टरप्राइजेज, 627, बरकत नगर, जयपुर, जिला जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 बी.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल. एवं 01 एच.पी.सी.एल.) पाये गये। जिसको मौके पर जब्त किया। जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर, एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एल.पी.जी. ज्वलनशील विस्फोटक एव जनहित की वस्तु होने से धारा-6-ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 30.09.2024 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री शिवेन्द्र गर्ग ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। आगामी पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।
- प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि गोयल एन्टरप्राइजेज, 627, बरकत नगर, जयपुर, जिला जयपुर की श्री हरिओम प्रसाद पुत्र सुगनचन्द की उपस्थिति में जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 बी.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल. एवं 01 एच.पी.सी.एल.) मय 70.950 कि.ग्रा. एल.पी.जी. पाये गये। मौके पर नीरजा गैस एजेन्सी के प्रतिनिधि श्री रामेश्वर पुत्र श्री बलवीर सिंह को बुलाकर घरेलू गैस सिलेण्डर्स का तौल करवाया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डर्स में कुल 70.950 किलोग्राम

जिला कलक्टर
जयपुर



एल.पी.जी. पाई गई। गौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैध दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैध भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जवाबशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

4. विभागीय पैसाकार रसद को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द गौका जब्ती दिनांक 27.09.2024 को मंलीभांती अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
5. अप्रार्थी ने जवाब किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। दौरान जांच गौके पर 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 बी.पी.सी.एल. 01 आई.ओ.सी.एल. एवं 01 एच.पी.सी.एल.) मय 70.950 कि.ग्रा. एल.पी.जी. पाये गये। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है। जिसका अवैध भण्डारण किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर्स का अवैध भण्डारण किया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैध मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जवाब सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी. को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जवाब 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (04 बी.पी.सी. एल. 01 आई.ओ.सी.एल. एवं 01 एच.पी.सी.एल.) मय 70.950 कि.ग्रा. एल.पी.जी. को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते हैं।
7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 30.09.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये हैं। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष जमा कराना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय प्रति हस्य कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 10.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर